न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 14/2021

1 सुभाषचन्द्र मील पुत्र गणपत सिंह जाति जाट निवासी मीलों की ढ़ाणी तन कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामनिवास पुत्र शिवबक्साराम।
2 बलबीर सिंह पुत्र शिवबक्साराम समस्त जाति जाट निवासीगण कटराथल तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क धारा 94
अन्तर्गत आदेश 12 नियम 1,4क सीपीसी दिनांक
22.02.2012 विरूद्व आदेश दिनांक 28.10.2021

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र मील, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

Adl

दिनांकः– 1-2-24

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.02.2012 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

बहस प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि दिनांक 22.02.2012 को ग्राम कटराथल में अवस्थित खसरा नम्बर 407,409,410,411,412 व 86 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर कृषि से सम्बंधित अपील संख्या 60/2012 जरिये रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश प्राप्त किया था, उक्त अपील संख्या 59/2012 प्राथमिक डिकी की अपील संख्या 59/2012 दोनों अपीलों में एक ही प्राथमिक को ही फाइनल डिकी की गई थी, विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 03.11.2011 को उक्त गलत डिकी जो काल्पनिक तैयार गलत व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय के प्रकरण संख्या 906/2010 में शामिल छल कपट से उक्त दावे में शामिल होना तथा उक्त डिकी को तत्कालीन हल्का पटवारी भगवानाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी पिपराली तथा तत्कालीन तहसीलदार जयसिंह पुत्र सज्जन सिंह शेखावत सूर्य नगर पिपराली रोड़ सीकर ने उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 97/2017 बउनवानी सुभाषचन्द्र बनाम सुरेन्द्र सिंह व इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2017 बउनवानी सुभाषचन्द्र बनाम जयसिंह वगैरह दोनो कन्टेम्पों में न्यायालयों में जवाब पेश किया है जिसमें स्वीकार किया है कि उक्त प्राथमिक डिकी फर्द मौका रिपोर्ट प्रकरण संख्या 98/2010 में दिनांक 03.11.2011 को उन्होने तैयार नहीं की है, ना ही उन्होनें उक्त पर हस्ताक्षर किये है तथा उक्त दिनांक की फर्द मौका रिपोर्ट को उनके हस्ताक्षरों से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में भेजा गया था। उक्त दिनांक को भगवानाराम, चुनाव शाखा में कार्यरत था, तथा तहसीलदार सीकर में था, उक्त काल्पनिक फर्द मौका रिपोर्ट संख्या 2044 दिनांक 31.01.2012 भरा गया था, जिसमें प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 407 में खसरा नम्बर 411 के जॉईन्ट में 0.08 हैक्टेयर कृषि भूमि शामिल कर उक्त में प्रार्थी का नाम अंकित कर तैयार नामान्तकरण भगवानाराम व जयसिंह ने भरा था तैयार किया था जिसके नया खसरा नम्बर 1991/407 अंकित है जो तत्समय से पड़त खाली पड़ी थी

दिनांक 28.10.2021 को ट्रेक्टर संख्या आर.जे. 23 आर.ए. 6631 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिलकर उक्त मे प्लाउ व हैरा लगाकर उक्त की मौके स्थिति में परिवर्तन कर उक्त खसरा नम्बर 407 में शामिल कर एक कृषि भूमि के रूप में बना दिया इसलिए यह आवेदन 1 लगायत 2 के विरूद्व पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। आवेदन स्वीकार कर दोषियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना कर मौके पर बा–जोत, निर्माण कार्य, कृषि भूमि का विखण्डन किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-2-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर